रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)
Regd Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele. 24365161 Fax 24360644 Email reccorp@recl.nic.in Gram RECTRIC
Website www.recindia.com & www.recindia.nic.in

आरईसी/एफएंडए/ग्रेच्युटी सेल/**2011/01-24/** दिनांक**: 16.06.2011**

सेवा में,

बोलीदाता (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रिय महोदय,

विषय: <u>आरईसी उपदान निधि के निवेश प्रबंधन हेतु बोलियों का आमंत्रण।</u>

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत (नवरत्न 'ए ' श्रेणी का सार्वजनिक उद्यम), जुलाई 1969 में निगमित, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), आरईसी की उपदान निधि के लिए निवेश प्रबंधन की बाह्य स्रोत से व्यवस्था करना चाहता है।

आवश्यक बोली/निविदा दस्तावेज, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज हैं, संलग्न किए जाते हैं**:-**

(i)	बोलीदाताओं हेतु अनुदेश	भाग-।
(ii)	तकनीकी बोली (लिफाफा 'क ') (अर्हक मानदंड तथा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना)	भाग-।।
(iii)	मूल्य बोली दस्तावेज(लिफाफा 'ख ')	भाग-।।।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि बोली दस्तावेजों में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार अपनी बोली को **6 जुलाई 2011 के 15:00 बजे (भारतीय समयानुसार) या उससे पूर्व** इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। बोली उसी दिन बोलीदाताओं द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में **6 जुलाई 2011 को 16:00 बजे (भारतीय समयानुसार)** खोला जाएगा। वित्तीय बोलियों के खुलने की तारीख को अलग से सूचित कर दिया जाएगा।

निविदा दस्तावेज हमारी वेबसाइट www.recindia.com अथवा www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,
ह./-
(संजय कुमार)
उप महाप्रबंधक**(वित्त एवं लेखा)**

संलग्नक: यथोपरि।

<u>बोलीदाताओं की सूची</u>

1.	श्री वर्घीस फिलिप बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. जीई प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, येरावाडा पूणे-411006 दूरभाष: 020-66026777	2.	श्री जयंत दुआ बिरला सन लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लि. वन इंडिया बुल्स सेंटर, टॉवर 1, 16वॉ तल, जूपिटर मिल कंपाउंड, 841,सेनापति बापत मार्ग, एल्फिनस्टोन रोड, मुंबई-400013 दूरभाष:-+ 91 22 43569000
3.	श्री अमिताभ चौधरी एडीएफसी स्टेंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. 19वॉ तल, लोधा एक्सीलस, अपोलो मिल्स कंपाउंड, एन.एम.जोशी रोड़, महालक्ष्मी, मुंबई-400011 दूरभाष: 022-67516666	4.	श्री संदीप बख्शी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ला.इंश्यों.कं.लि. आईसीआईसीआई प्रूलाईफ टॉवर्स, 1089, आप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400025. दूरभाष: 022-56621996
5.	श्री क्षितिज जैन आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. आईएनजी वैश्य होम, 5वॉ तल, 22 महात्मा गांधी रोड बैंगलोर-560001 दूरभाष-080-25328000	6.	श्री टी.एस.विजयन भारतीय जीवन बीमा निगम योगक्षेमा, जीवन बीमा मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं.19953 मुंबई-400021 दूरभाष: 56598701,56598702
7.	श्री राजेश सूद मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. 11वॉ तल, डीएलएफ स्केयर, जकरंदा मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेस-।।, गुड़गांव-122002 दूरभाष:0124-2561717	8.	श्री राजेश रेलन मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ब्रिगेड शीशमहल, नं.-5, वाणी विलास रोड, बसावनगुडी, बैंगलोर-560004 दूरभाष:080-26438638
9.	श्री पंकज देसाई कोटक महिंद्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड चतुर्थ तल, विनय भव्या कांप्लेक्स, 159 ए, सीएसटी रोड, कलीना, सांताक्रूज(पूर्व), मुंबई-400098 दूरभाष:022-65993626	10.	श्री महादेव नगेन्द्र राव एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. नटराज,एम.वी.रोड एवं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069 दूरभाष:61910011
11.	श्री एम.सुरेश टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. 5वॉं एवं 6वां तल, पेनिनसुला टॉवर, पेनिनसुला कारपोरेट पार्क, गनपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013. दूरभाष:022-66516000	12.	श्री मलय घोष, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 9वॉ एवं 10वॉ तल, बिल्डिंग नं.2, आर-टेक पार्क, निरलोन कंपाउंड, हब मेल से अगला, आई-फ्लेक्स बिल्डिंग के पीछे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063 दूरभाष:022-30883434/30887261
13.	श्री टी.आर.रामचंद्रन	14.	श्री एन.पी.बाली

	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लि. अवीवा टॉवर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ-फेस 5, सेक्टर-43, गुड़गांव-122003 दूरभाष:0124-2709000/01		मुख्य कार्यपालक अधिकारी(स्थानापन्न), सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. सहारा इंडिया भवन, कोपूरथला कांपलेक्स, लखनउक-226024 दूरभाष: 0522-2337777
15.	श्री आर दुरूवासन श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 3-6-478, तृतीय तल, आनंद एस्टेट, लिबर्टी रोड, हिमायत नगर, हैदराबाद - 500029 दूरभाष: 040-23434466-72	**16**.	श्री संदीप घोष भारती एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 601-602, 6वां तल, रहेजा टिटानियम, पश्चिमी एक्सप्रेस हाइवे के पास, गोरेगांव(पू) मुंबई - 400063 दूरभाष: 022-40306300/6301
17.	श्री दीपक सूद फ्यूचर जेनरेली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 001, डेल्टा प्लाजा, भूतल, 414,वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - 400025 दूरभाष: 022-40976666	**18**.	श्री जी.वी नागेश्वर राव आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. ट्रेडवियू, ओएसिस कांप्लेक्स, कमला सिटी, पी.बी.मार्ग, लोअर पेनल (पश्चिम), मुंबई - 400013 दूरभाष: 022-24908109/10
19.	श्री जॉन डेविड होल्डन, सीईओ एवं डब्ल्यूटीडी केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अगस्त प्वाइंट, द्वितीय तल, डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-53, गुड़गांव-हरियाणा(भारत)122002 दूरभाष:0124-44535506	**20**.	श्री राजीव जमखेडकर एईजीओएन रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जीवाईएस हाईटस् , द्वितीय तल, परांजपे 'बी ' स्कीम, सुभाष रोड, गरवारे हाऊस के निकट, विले पारले(पूर्व), मुंबई- 400057 दूरभाष: 022-67292929
21.	श्री पवन धमीजा(एमडी एवं सीईओ) डीएलएफ प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चतुर्थ तल,टॉवर बी, बिल्डिंग नं.9, डीएलएफ साइबर सिटी, फेस-।।।, गुड़गांव-122002 दूरभाष: 0124-4697000	**22**.	श्री कमलजी सहाय(एमडी एवं सीईओ) स्टार यूनियन डाय-इचि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार हाऊस, तृतीय तल,(वेस्ट विंग), सी-5,बांद्रा-कुर्ला कांपलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 दूरभाष:022-39546211
23.	डॉ.पी.नंदगोपाल इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 301, 'बी' विंग, द क्यूब, इंफिनिटी पार्क, डिनडोशी-फिल्म सिटी रोड, मलाड(पूर्व), मुंबई-400097 दूरभाष: 022-39418700	**24**.	श्री दीपक मित्तल एडेलवीस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. एडेलवीस हाउक्स, 7वॉ तल, सी.एस.टी.रोड के पास, कलीना, मुंबई-400098 दूरभाष: 91+ 22-40635599, 40635480

निविदा सं.आरईसी/एफएंडए/ग्रेच्युटी सेल/**2011**

आरईसी उपदान निधि के निवेश प्रबंधन हेतु

(i) बोलियों के प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख**:6** जुलाई,**2011:**समय **15:00** बजे**(**आईएसटी**)**

(ii) तकनीकी बोली के खुलने की तारीख**: 6** जुलाई, **2011:**समय **16:00** बजे**(**आईएसटी**)**

(iii) वित्तीय बोली के खुलने की तारीख**:** अलग से अधिसूचित की जाएगी।

तारीख: 16.06.2011

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,

7, लोदी रोड,

नई दिल्ली - 110003.

भाग- I

बोलीदाताओं के लिए अनुदेश

1.0 बोलीदाताओं के लिए सूचना

1.1 जुलाई 1969 में निगमित, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड(आरईसी),(विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन नवरत्न श्रेणी 'ए ' का सरकारी क्षेत्र का उद्यम), एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी(इंफ्रा) संस्था है। 31 मार्च 2011 के अनुसार आरईसी की कुल कार्मिकों की संख्या 689 है जो नई दिल्ली में स्थित कारपोरेट कार्यालय तथा देश के विभिन्न राज्यों की राजधानी स्थित कार्यालयों में कार्यरत है।

1.2 आरईसी का उपदान ट्रस्ट है। आरईसी के सभी कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं तथा वर्तमान में स्व-प्रबंधित है। आरईसी लगभग बत्तीस करोड़ की उपदान निधि के निवेश प्रबंधन, बाह्य स्रोत के आधार पर करवाना चाहता है, इसलिए बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से मुहरबंद निविदाओं को आमंत्रित किया जाता है। आरईसी को यह अधिकार है कि वह उपदान निधि के निवेश प्रबंधन को, आंशिक अथवा पूर्ण रूप से यहां तक कि एक से अधिक बीमा कंपनी को बाह्य स्रोत के आधार पर समनुदेशित कर सकता है।

1.3 संभावित बोलीदाता अर्थात आईआरडीए के साथ पंजीकृत बीमा कंपनियां विषय आवश्यकता के लिए **'तकनीकी बोली '** तथा **'मूल्य बोली '** को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित हैं।

बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी बोलियों को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें, इस लिफाफे में अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे रखे गए हों जिसमें से लिफाफा-1 पर 'तकनीकी बोली ' तथा लिफाफा-2 पर 'वित्तीय बोली ' लिखा हो।

1.4 संविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में बोलीदाता(ओं) द्वारा बोलियों की तैयारी, मूल्य-निर्धारण, विचार-विमर्श आदि में हुए खर्च को बोलीदाता(ओं) को वहन करना होगा तथा आरईसी इस प्रकार के किसी खर्च की आंशिक अथवा पूर्ण रूप से कोई प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।

1.5 आरईसी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी बोलियों को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर सकता है।

2.0 बोली दस्तावेज

2.1 बोली दस्तावेजों में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i)	**बोलीदाताओं हेतु अनुदेश**	भाग-।
(ii)	**तकनीकी बोली (लिफाफा 'क ')** **(अर्हक मानदंड तथा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना)**	भाग-।।
(iii)	**मूल्य बोली दस्तावेज(लिफाफा 'ख ')**	भाग-।।।

2.2 आरईसी बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व, किसी भी कारण से, चाहे वह खुद की पहल स्वरूप हो या किसी संभावित बोलीदाता द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण के फलस्वरूप हो, बोली दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है। संशोधन/स्पष्टीकरण(णों) की अनुक्रिया, यदि कोई होगी, को लिखित रूप में सभी संभावी बोलीदाताओं को भेज दिया जाएगा तथा जो सब पर आबद्धकर होगा। आरईसी, अपने विवेकानुसार, बोलियों को प्रस्तुत करने तथा/अथवा उनके खुलने की समय-सीमा को बढ़ा सकता है।

2.3 बोली दस्तावेज आरईसी की अनन्य संपत्ति रहेगी और बोलीदाता का, बोली प्रक्रिया तथा सफल बोलीदाता को कार्य के संदर्भ में इसके प्रयोग को छोड़कर, किसी अन्य प्रयोजन के लिए इन दस्तावेजों को प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

2.4 बोलियों को उपर्युक्त पते पर, कार्य दिवसों के दौरान 06/07/2011 के 15:00 बजे तक या इससे पूर्व जमा करना होगा। बोलीदाताओं को उपर्युक्त पते पर निविदा पेटी, जो आरईसी के कारपोरेट कार्यालय, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7,लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के भूतल में स्थित स्वागत-कक्ष में रखी गयी है, में बोली को अंतिम तारीख और समय से पूर्व मुहरबंद लिफाफे में जमा करने की व्यवस्था करनी होगी।

2.5 तकनीकी बोली वाले लिफाफे 'क ' को 06/07/2011 को 16:00 बजे समिति द्वारा खोला जाएगा। बोलीकर्ता इंश्योरेंस कंपनियों से अधिकतम 2(दो) प्राधिकृत प्रतिनिधि तकनीकी बोलियों के खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं, बशर्ते कि वे उपस्थित होने के इच्छुक हों।

2.6 तत्पश्चात, तकनीकी बोली के आधार पर योग्य पायी गयी अर्हक बीमा कंपनियों के नाम 'मूल्य बोली ' के खुलने की तारीख और समय के साथ संप्रेषित किए जाएंगे। बोलीकर्ता इंश्योरेंस एजेंसी से अधिकतम 2(दो) प्राधिकृत प्रतिनिधि वित्तीय बोलियों के खुलने के समय भी उपस्थित रह सकते हैं, बशर्ते वे उपस्थित होने के इच्छुक हों।

2.7 निविदा दस्तावेज हमारी वेबसाइट www.recindia.com या www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

3.0 बोली प्रस्तावों को तैयार करने के लिए अनुदेश:

3.1 सभी तरह से पूर्ण बोली प्रस्तावों को बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अपेक्षित सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाए। इसमें किसी प्रकार अस्पष्टता, कटिंग तथा सुधारक फ्लूड या अधिलेखन का प्रयोग न किया गया हो। सुधार कार्य, यदि कोई हो तो, को सफाई से किया जाए तथा उस पर बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा मुहर और तारीख सहित आद्याक्षर किए जाएं।

3.2 फर्म का प्राधिकृत प्रतिनिधि बोली प्रस्ताव के सभी पृष्ठों पर अपने आद्याक्षर करेगा। प्रस्ताव/निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार पत्र को साथ में संलग्न किया जाए।

3.3 बोली प्रस्तावों की तैयारी हेतु, बोलीदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बोली दस्तावेजों की पूर्ण रूप से जांच कर लें तथा यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा कि उपलब्ध कराई गयी सूचना पर्याप्त है तथा उसे स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है। यदि बोलीदाता अपेक्षित जानकारी/स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है तो, बोली को निप्रभावी बोली के रूप में समझा जाएगा।

3.4 तकनीकी बोली

3.4.1 'तकनीकी बोली ' को तैयार करने के समय, बोलीदाताओं को विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना होगा:

क) लाइसेंस का ब्योरा तथा निगमन की तारीख

ख) ऋणशोध-क्षमता अतिरिक्त राशि

ग) उपदान निधि संबंधी कार्य-निष्पादन

घ) प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम)

च) टर्न अराउंड समय (टीएटी)

छ) निधि प्रतिलाभ

3.4.2 **'तकनीकी बोली '** में बोली दस्तावेज के **भाग-।।** में निर्धारित जानकारी उपलब्ध करायी जाए।

3.4.3 तथापि, बोलीदाता को यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि तकनीकी बोली से संबंधित शर्तों में किसी परिवर्तन/अपवाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3.4.4 तकनीकी बोली में कोई मूल्य या मूल्य से संबंधित जानकारी नहीं होनी चाहिए।

3.5 मूल्य बोली

3.5.1 'मूल्य बोली ' की तैयारी हेतु, बोलीदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बोली दस्तावेजों की अपेक्षाओं और शर्तों का ध्यान रखें तथा उसे बोली दस्तावेजों के **भाग-।।।** के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया जाए।

3.5.2 बोलीदाता को प्रविष्ट और निर्गम प्रभार, यदि कोई हो तो, का अनुबंध सहित स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि बीमा कंपनी के गैर-निष्पादन के कारण अथवा किसी अन्य कारण से प्रथम वर्ष में निधि के निष्पादन न किए जाने की स्थिति में, एक वर्ष उपरांत निधि से निकासी करने पर कोई निर्गम प्रभार देय नहीं होगा जैसा कि मूल्य बोली दस्तावेज में अनुबंधित है।

3.5.3 बोलीदाता को, बीमा कंपनी द्वारा निशुल्क अथवा निवल परिसंपति मूल्यांकन (एनएवी) गणना के रूप में प्रभार्य शुल्क पर उपलब्ध करायी जाने वाली अतिरिक्तसेवाओं का भी उल्लेख करना होगा।

3.6 बोली वैधता

बोली प्रस्ताव 'तकनीकी बोली ' के खुलने की तारीख के उपरांत 90 दिन की अवधि के लिए वैध रहेगा। अपवादात्मक परिस्थितियों में, आरईसी को बोली वैधता अवधि को बढ़ाने के लिए बोलीदाता की सहमति लेनी होगी। जब वैधता अवधि को बोलीदाता द्वारा बढ़ाया जाता है, तो उसे बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्ताव में बिना किसी संशोधन के किया जाएगा।

4.0 बोली प्रस्ताव को प्रस्तुत करना

4.1 बोली प्रस्तावों को निम्नानुसार दो पृथक मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा:

- लिफाफे-क में 'तकनीकी □ॣ ॅ' तथा बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी दी जाएगी।
- लिफाफे-ख में 'मूल्य बोली ' होगी।

4.2 लिफाफे क एवं ख को अन्य मुहरबंद लिफाफे में लिफाफे में रखा जाएगा, जिस पर बोलीदाता का नाम, समनुदेशन कार्य का नाम (उपदान निधि के निवेश हेतु प्रस्ताव) और बोली खुलने की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा तथा उस पर 'केवल प्रेषिती द्वारा खोला जाए ' इंगित किया जाए और अधोलिखित अधिकारी को संबोधित किया जाए:-

श्री संजय कुमार
उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003.
दूरभाष:011-43091616,फैक्स:011-24369846

4.3 संभावित बोलीदाताओं को, पूर्ण 'बोली प्रस्ताव ' को मुहरबंद स्थिति में बोली की अंतिम तारीख और समय से पूर्व उपर्युक्त पते पर भेजने की व्यवस्था करनी होगी। बोलीदाता, अपने बोली प्रस्ताव को पंजीकृत डाक द्वारा भी उपर्युक्त पते पर अंतिम तारीख और समय से पूर्व भेज सकते हैं।

4.4 नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त बोली प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा भेजे गये बोली प्रस्तावो के प्राप्त न होने/देर से प्राप्त होने के लिए आरईसी जिम्मेवार नहीं होगा। फैक्स/ई-मेल/टेलिग्राम द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.5 बोली प्रस्तावों को नियत समय और तारीख को, जैसा कि बोली दस्तावेज में उल्लिखित है, बोलीदाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, जिसे उपस्थित होने के लिए चुना गया है, की उपस्थिति में खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि बोली प्राप्ति की नियत तारीख को अवकाश घोषित हो जाता है तो, बोली को अगले कार्य दिवस को नियत समय तक प्राप्त किया जाएगा।

4.6 वैकल्पिक बोलियां: वैकल्पिक बोलियों को, बोली दस्तावेजों में जब तक अन्यत्र रूप से इंगित नहीं किया गया हो, विचारा नहीं जाएगा।

5.0 बोली मूल्यांकन

5.1 सर्वप्रथम 'तकनीकी बोली' का मूल्यांकन किया जाएगा।

5.2 बोलीदाता(ओं), जिनकी 'तकनीकी बोली ' तकनीकी-वाणिज्यिक अनुक्रियाशील बोली पायी गयी है, की मूल्य बोली को बोलीदाता की उपस्थिति, जिसे उपस्थित रहने के लिए चुना गया है, में खोला जाएगा।

5.3 आरईसी मूल्य बोलियें की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा अर्थात् क्या बोलीदाता(ओं) ने बोली दस्तावेजों के उपबंधों की आवश्यकतानुसार दरों को प्रस्तावित किया है।

5.4 बोलियों में विसंगतियां होने की स्थिति में, मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ विसंगतियों को सही करने के लिए निम्नलिखित को अपनाया जाएगा।

i) अंकों तथा शब्दों में विसंगति होने की स्थिति में, शब्दों को माना जाएगा।

ii) अंकगणितीय त्रुटियों को परिशोधित करके सुधारा जाएगा।

5.5 कोई मिथ्या सूचना या असमर्थित तथ्य, डेटा, जानकारी, दर/भाव, निबंधन एवं शर्तें जो विलंब, जटिलता के कारक हैं, बोली के निरस्त होने का कारण हो सकते हैं तथा भावी इंश्योरेंस संबंध पर प्रभाव डाल सकते हैं।

6.0 प्रबंधन हेतु निधि का आबंटन

6.1 आरईसी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह निवेश हेतु निधि को अथवा उसके किसी अंश को किसी या अधिक बोलीदाताओं को आबंटित कर सकता है। इसके अलावा, यह आरईसी का एकमात्र निर्णय होगा कि वह निधि के प्रकार और प्रकृति के संबंध में, जहां निवेश और इसका आवर्तन किया जाना है, को निर्धारित करे। इस संबंध में, बोलीदाता से प्राप्त किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.2 हालांकि, यह नोट किया जाए कि आरईसी के पास, बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी बोलियों को अस्वीकृत करने का, अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में आरईसी का निर्णय अंतिम होगा और सभी बोलीदाताओं पर आबद्धकर होगा।

6.3 बोलीदाता, बोली खुलने के उपरांत अपनी बोली से संबंधित किसी मामले पर आरईसी से संपर्क नहीं करेंगे। आरईसी पर मूल्यांकन, तुलना या कार्य सुपुर्द के निर्णय संबंधी प्रभाव डालने के लिए बोलीदाता द्वारा किया गया कोई प्रयास, उनके बोली प्रस्ताव को निरस्त करने का कारण बन सकता है।

6.4 जहां बीमा कंपनी से आरईसी अपनी निधियों को निर्गम कराने का निर्णय लेता है तो, उसे आरईसी को 7 कार्य दिवसों के अंतर्गत वापस लौटाना होगा।

7.0 सुलह/माध्यस्थम्

7.1 यदि पार्टियों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होता है तो पार्टियां उसका समाधान एवं निपटान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,आरईसी द्वारा नियुक्त समिति के माध्यम से, सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा करेंगी।

7.2 यदि किसी एक पार्टी द्वारा नोटिस दिए जाने के 30 दिनों के अंतर्गत भी पार्टियां आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान अथवा निपटान करने में असमर्थ हैं तो उक्त विवाद अथवा मतभेद का मामला निपटान के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसीएल द्वारा नियुक्त एकमात्र माध्यस्थम् को भेजा जाएगा।

7.3 किसी विवाद अथवा मतभेद के होने तथा/अथवा माध्यस्थम के लिए मामले को भेजने के बावजूद भी, संविदाकार को संविदा के अंतर्गत कार्य के निष्पादन को, अध्वसाय तथा व्यावसायिक तरीके से निर्बाधित रूप से करते रहना चाहिए तथा संविदाकार को देय भुगतान को, माध्यस्थम् की कार्यवाही के ऐसे मतभेद के कारण से रोका नहीं जाएगा बशर्तें कि माध्यस्थम् में ऐसे भुगतान का मामला न चल रहा हो।

7.4 माध्यस्थम् की कार्यवाही, विद्यमान माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम,1996 तथा समय-समय पर अधिनियमित अथवा संशोधित, भारतीय कानून के अनुसार होगी।

7.5 माध्यस्थम् का स्थान नई दिल्ली, भारत में होगा। माध्यस्थम् की फीस एवं अन्य शुल्कों को अधिनियम के अनुसार माध्यस्थम् द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसे पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

7.6 माध्यस्थम् एक तर्कयुक्त तथा व्याख्यानपूर्ण अधिनिर्णय देगा। पार्टियों को माध्यस्थम् की कार्यवाही के दौरान वादकालीन ब्याज का अधिकार नहीं होगा।

8. अपरिहार्य घटना(फोर्स मेज्यूर)

8.1 अपरिहार्य घटना के कारण संविदा अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले किसी दायित्व के किसी एक पार्टी द्वारा निष्पादन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, ऐसी अपरिहार्य घटना(फोर्स मेज्यूर) से प्रभावित पार्टी के दायित्व को, ऐसे कारण के समाप्त होने की अवधि तक, निलंबित कर दिया जाएगा।

8.2 यहां पर प्रयुक्त शब्द ' अपरिहार्य घटना' (फोर्स मेज्यूर) से तात्पर्य दैवी घटना, युद्ध, सिविल उपद्रव, आगजनी, बाढ़ तथा आरईसी एवं बीमा कंपनी, दोनों पार्टियों, की संबंधित सरकार के नियमों एवं विनियमों से है, जो संविदा के निष्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।

भाग - । की समाप्ति

भाग-।।

लिफाफा ‘क ‘

‘तकनीकी बोली ‘

क्रमांक	विवरण	सूचना
(क) बीमा कंपनी का ब्योरा		
1.	बीमा कंपनी का नाम	
2.	कंपनी का पता	
	क) पंजीकृत कार्यालय	
	ख) दिल्ली में कार्यालय (जो बोली के लिए समन्वय कार्यालय होगा)	
	ग)बोलीदाता के अधिकारी का नाम, पदनाम तथा संपर्क व्यक्ति का फोन नंबर, जिससे सभी पत्र-व्यवहार किए जा सकें।	
3.	निगमन की तारीख/पंजीकरण संख्या (विधिवत अभिप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें)	
4.	उपदान निधियों के प्रबंधन की प्रारंभ तिथि	
5.	आईआरडीए लाइसेंस संख्या तथा दिनांक (वैधता सहित, यदि कोई हो तो)	
6.	संयुक्त उद्यम के साझेदार(रों) का नाम तथा शेयरधारण का तरीका	

7.	सेवा-कर पंजीकरण संख्या (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)		
8.	पैन नंबर (पैन कार्ड की फोटोप्रति संलग्न करें)		
(ख) अर्हक अपेक्षाएं			
(i)	**आईआरडीए द्वारा अनुबंधित के समक्ष कंपनी की ऋणशोध-क्षमता अतिरिक्त राशि (31 मार्च, 2011 के अनुसार)** (ऋणशोध-क्षमता अतिरिक्त राशि आईआरडीए द्वारा निर्धारित 1.5 गुणा से कम नहीं होनी चाहिए)		
(ii)	**प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां** **एयूएम(कुल)** करोड़ रपए **एयूएम(उपदान अधीन)**करोड़ रपए (दोनों मामलों में एयूएम आंकड़ें 31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए दिए जाएं अथवा भिन्न लेखा वर्ष के मामले में, 31 मार्च 2011 के निकटतम समाप्त तारीख को दिए जाएं तथा जोकि सांविधिक लेखा-परीक्षक/बाह्य चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित होने चाहिए) (समग्र रूप से प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां र. 10,000 करोड़ से अधिक तथा उपदान के अधीन र 500 करोड़ से अधिक होनी चाहिए)		
(iii)	**पिछले 3 वित्तीय वर्षों हेतु निवल संपत्ति (करोड़....... रपए)**	समाप्त वर्ष	निवल संपत्ति (करोड़ रपए)
	(संबंधित वर्ष अर्थात् 2011, 2010 तथा 2009 की 31 मार्च को समाप्त लेखा वर्षों के समापन दिवस को बोलीदाता की निवल संपत्ति अथवा 31 मार्च 2011 के निकटतम तारीख को समाप्त भिन्न लेखांकन वर्षों की स्थिति में निवल संपत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। कृपया 31.3.2011 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के लिए विधिवत लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की फोटोकॉपियां/मुद्रित प्रतियां संलग्न करें अथवा 31 मार्च 2011 के निकटतम तारीख को समाप्त भिन्न लेखा वर्षों की स्थिति में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत सत्यापित प्रति संलग्न करें)	**31 मार्च, 2011**	
		31 मार्च, 2010	
		31 मार्च, 2009	

<table>
<tr><td rowspan="4">v)</td><td rowspan="4">उपदान निधि कार्य-निष्पादन

कंपनियों का कार्य -निष्पादन पिछली रिटर्न/ कंपनी द्वारा घोषित ब्याज दर के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा तथा रिटर्न/घोषित ब्याज दर 31 मार्च, 2011 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 8औ से कम नहीं होनी चाहिए। भिन्न लेखा वर्ष के मामले में, रिटर्नों को 31 मार्च 2011 के निकटतम तारीख को समाप्त लेखा वर्ष के लिए दिया जाए, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत सत्यापित हो।</td><td colspan="2">वर्ष</td><td colspan="2">पूंजी और प्रतिलाभ गारंटी योजना के अधीन घोषित विगत प्रतिलाभ/ब्याजदर (प्रतिशत)</td></tr>
<tr><td colspan="2">31 मार्च, 2011 को समाप्त</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">31 मार्च, 2010 को समाप्त</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">31 मार्च, 2009 को समाप्त</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">(v)</td><td rowspan="11">कारपोरेट की उपदान निधि के निवेश प्रबंधन का पूर्व अनुभव

(बोलीदाता ने बोलियों को आमंत्रित किए जाने की तारीख से पिछले महीने की अंतिम तारीख को समाप्त दिन सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष न्यूनतम तीन कारपोरेट की उपदान निधि के निवेश को प्रबंधित किया हो। कारपोरेट, जिनकी उपदान निधि को बीमा कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, की सूची संलग्न करें)</td><td>वर्ष</td><td>कारपोरेट का नाम</td><td colspan="2">अवधि</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>से</td><td>तक</td></tr>
<tr><td>वर्ष 1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>वर्ष 2</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>वर्ष 3</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>पूंजी तथा प्रतिलाभ गारंटी निधियों (आरजीएफ) हेतु आईआरडीए उत्पाद अनुमोदन संख्या

(बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित उत्पाद को प्रमाणिक करने के लिए, आईआरडीए के अनुमोदन की प्रति, जो बोली दस्तावेज हेतु अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत सत्यापित हो, तथा उत्पाद के यूआईएन (एकमात्र पहचान संख्या) सहित उत्पाद विशेष की मंजूरी को बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव के साथ दस्तावेजी</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">(ग) अतिरिक्त सूचना</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>31 मार्च, 2011 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान आईआरडीए द्वारा कारोबार एवं कारोबार व्यवहार के संबंध में दिए/लगाए गए नोटिस/आपत्ति/दंड, जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है तथा जो बोली प्रस्तुत करने की तारीख को बकाया हैं।</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">(2)</td><td rowspan="6">उपदान निधि के अंतर्गत टर्न-अराउंड समय (टीएटी)

सामान्य दावों के लिए टर्न-अराउंड समय (टीएटी) 5 कार्य दिवसों की अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए तथा मृत्यु दावे के मामले में बीमाकर्ता से अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुत करने की तारीख से 7 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(कृपया 31 मार्च, 2011 को समाप्त पिछले 3 वित्तीय वर्षों हेतु तथा 31 मार्च 2011 की निकटतम तारीख को समाप्त भिन्न लेखा वर्ष के मामले में रूझान का उल्लेख करें)</td><td>वर्ष</td><td>सामान्य दावा (दिवस)</td><td>मृत्यु दावा (दिवस)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मुहर सहित)

भाग-।। की समाप्ति

<u>भाग-।।।</u>

<u>लिफाफा ‘ख ‘</u>

‘मूल्य बोली ‘

क्रमांक	विवरण	यूनिट	मूल्य	
1.	**प्रस्तावित रिटर्न** (समस्त प्रभारों का निवल)किसी पृथक निधि प्रबंधन प्रभारों/पॉलिसी प्रशासन प्रभार, निधि के प्रबंधन हेतु अन्य किसी प्रभार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा	प्रति वर्ष औ	पूंजी एवं प्रतिलाभ गारंटी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिलाभ	
			1वर्षीय पॉलिसी	**3**वर्षीय पॉलिसी
	अंकों में			
	शब्दों में			
2.	निधि के औ के रूप में निर्गम/ अभ्यर्पण प्रभार, अथवा एकमुश्त राशि। कृपया उल्लेख करें।	औ/र.	पूंजी एवं प्रतिलाभ गारंटी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिलाभ	
			1वर्षीय पॉलिसी	**1**वर्षीय पॉलिसी
	अंकों में			
	शब्दों में			
3.	निधि के औ के रूप में प्रविष्ट भार, यदि कोई हो तो(प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट किया जाए) अंकों में शब्दों में	औ		
क.	ली जाने वाली अपेक्षित बीमे की न्यूनतम धनराशि (प्रत्येक मामले में)	रपए		
ख.	क्या विद्यमान निधि की अवस्थिति के दौरान अन्य किसी योजना में जाने (स्विचिंग) की अनुमति होगी,यदि हाँ तो, फ्री स्विचों की संख्या, स्विचिंग प्रभार तथा अन्य किसी प्रभार को विशेष रूप से इंगित किया जाए और इसमें कोई छुपे हुए प्रभार (किसी भी मामले में) नहीं होने चाहिए ।	औ/र.		
ग.	49.8 वर्षों की औसत आयु के प्रत्येक	र.		

	कर्मचारी के बीमे के प्रति 1000 रुपए पर अनंतिम बीमा प्रीमियम (प्रत्येक मामले में)		

एच1 बोलीदाता को उपरोक्त1 के आधार पर तय किया जाएगा। तथापि, एक जैसी गारंटीकृत रिटर्न का उल्लेख करने वाले एक से अधिक बोलीदाता के मामले में, आरईसी प्राथमिकता के क्रम में उपरोक्त(2) और (3) के आधार पर उद्धृत मूल्यों पर विचार कर सकता है।

(प्राधिकृत व्यक्तिके हस्ताक्षर मुहर सहित)

भाग-।।। की समाप्ति